संख्या-5/2017/979/86-2017-142/14

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग — लखनऊ दिनांक 16 मई, 2017

विषयः- ईंट भट्ठों के लिए ईंट बनाने की मिट्टी के खनन/परिवहन के सम्बन्ध में ईंट भट्ठा मालिकों का उत्पीडन न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि ईंट भट्ठो के लिए ईंट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना शासनादेश संख्या-3287/86-16-1(216)/93 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा ईट भट्ठा सत्र 2016-17 हेतु निर्गत किया गया है। उ0प्र0 ईंट निर्माता समिति द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों के अनुसार मिट्टी के खनन और परिवहन किये जाने की स्थिति में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर उत्पीड़न किया जाता है।

2. अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा नियमानुसार खनन विभाग से समाधान योजना के अंतर्गत रायल्टी जमा कर खनन योजना अनुमोदित कराकर खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की शर्तो के अधीन खनन कार्यवाही की जा रही है, उन्हे किसी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप/उत्पीड़न से मुक्त रखा जाय।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव,

संख्या-979(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) श्री अतुल कुमार सिंह, महामंत्री, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति, 87/15 रिसालदार पार्क, लालकुआँ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/gointra/